पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांकः 4489/अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक : 18/08/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की चौदहवीं* बैठक शुक्रवार, दिनांक 14.08.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति – अध्यक्ष
2. डॉ.. एम.डब्ल्यू.वाय.खान – सदस्य
3. डॉ. भगवंत सिंह – सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय – सदस्य
5. डॉ. के.एन. बापट – सदस्य
6. श्री एस.के.चक्रवर्ती – सदस्य
7. प्रोफे.(डॉ.) दिनेश मारोठिया – सदस्य
8. श्री ललित सुरजन – सदस्य
9. श्री शिवरतन शर्मा – सदस्य
10. श्री नवीन मार्कण्डेय – सदस्य
11. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य
12. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव – सचिव

कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ की गई :**

विषय क्रमांक 3 निर्णय के अंतिम पैरा में निम्नलिखित बिंदु जोड़ा जाय – "संविदा नियुक्ति नहीं की जावे। नियुक्ति की कार्यवाही यू.जी.सी. एवं विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार की जाय।"

विषय क्रमांक 19 के निर्णय में समिति में श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, कार्यपरिषद् का नाम भी शामिल किया जाय।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 30.07.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।**
दिनांक 30.07.2015 की बैठक के विषय क्रमांक 16 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :
" नैक (NAAC) के संभावित दिसंबर–जनवरी 2016 के दौरा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् शासन द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्नलिखित

अधिकारियों की सेवाएं अधिकतम छः माह के लिए अथवा शासन द्वारा नियमित/प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने तक (जो भी पहले हो) की जावे।

1. **डॉ. जे.एल. गंगवानी, उपकुलसचिव– दिनांक 17.08.2015 से**
2. **डॉ. आर.के. अग्रवाल, उपकुलसचिव– दिनांक 17.08.2015 से**
3. **श्री बी.सी. विश्वास, वित नियंत्रक – दिनांक 17.08.2015 से**
4. **श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री– दिनांक 19.08.2015 से**

श्री के.पी. यादव, लेखा अधिकारी की सेवाएं दिनांक 16.08.2015 से छः माह के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) किए जाने का निर्णय लिया गया।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

04. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सत्र 2015–16 से बी.वोक. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के साथ रुपए 97,00,000/– (रुपए सन्तानवे लाख मात्र) अनुदान के रूप में स्वीकृति के संबंध में सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

05. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद– कक्ष–अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक–I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **मध्यप्रदेश जिला कार्यालय कार्यवाही निर्देशिका के आधार पर विश्वविद्यालय के कक्ष–अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक–I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।**

06. शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/– प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/– प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से वित विभाग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त किया जावे।**

07. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाये जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्राथमिकता के आधार पर छात्रावास एवं गेस्ट हाऊस का प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाय।**

08. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

09. वार्षिक परीक्षा 2015 नोडल केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के कराये गए मूल्यांकन के पारिश्रमिक रु. 40 लाख (चालीस लाख रुपये) की गई भुगतान हेतु स्वीकृत अग्रिम राशि के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय : **वार्षिक परीक्षा 2015 नोडल केन्द्रों द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के कराये गए मूल्यांकन के पारिश्रमिक रुपए 40.00 लाख (रुपए चालीस लाख) के भुगतान हेतु स्वीकृत अग्रिम राशि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

10. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए पदोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। आवश्यकतानुसार विनियम क्रमांक 91 में संशोधन कर ली जाय।**

11. कर्मचारी संघ के आह्वान में दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **कर्मचारी संघ के आह्वान पर दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश में समायोजित किया जावे।**

12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में स्थित निजी भूमि को आपसी सहमति से क्रय करने के संबंध में समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में स्थित निजी भूमि को आपसी सहमति से क्रय करने के संबंध में समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए इस पर वास्तविक क्रय राशि रुपए 64,76,740.00 (रुपए चौसठ लाख छिहत्तर हजार सात सौ चालीस मात्र) का अनुमोदन किया गया।**

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.08.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।

निर्णय : **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.08.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।**

02. नवीन जैवप्रौद्योगिकी भवन में ट्रांसफार्मर लगाने के लिये छ.ग.म.वि.वि. कंपनी मर्यादित, डी.डी. नगर जोन रायपुर, को किये गये भुगतान की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : **नवीन जैवप्रौद्योगिकी भवन में ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में छ.ग.म.वि.वि. कंपनी मर्यादित, डी.डी.नगर जोन, रायपुर को किए गए भुगतान की राशि रुपए 7,60,449.00 (रुपए सात लाख साठ हजार चार सौ उन्चास मात्र) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।**

03. श्री राम कालेज, सारागांव, जिला--रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **श्री राम कालेज, सारागांव, जिला–रायपुर में प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति के द्वारा अनुशंसित नाम डॉ. कायम जेहरा का अनुमोदन किया गया।**

04. सेंटर फॉर बेसिक साइंस में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 5000/-- प्रतिछात्र प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णय : **सेंटर फॉर बेसिक साइंस प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था कि इसमें प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 5000/– प्रति छात्र प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। अतः प्रस्ताव के अनुसार सेंटर फॉर बेसिक साइंस में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह रु. 5000/– छात्रवृत्ति प्रदान किया जावे।**

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व कार्यपरिषद् सदस्य एवं शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. शंकर दुबे का दिनांक 13.08.2015 को निधन हो जाने के फलस्वरूप कार्यपरिषद् सदस्यों ने दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक: 4490 अका./का.प./2015 रायपुर, दिनांक 18/8/2015

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
5. समस्त प्रभारी अधिकारी
6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)